

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी चेतन देवड़ा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या/84/2019 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांक:- 09.10.2019

श्री राजेन्द्र जैन निवासी बागचार भवन, कृष्णा मौहल्ला, भीलवाड़ा

बनाम

- 1-लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़
- 2-सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, बेगूं

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम-2005




निर्णय

दिनांक 22.10.2019

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 18.05.2019 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 84/2019/(22.10)/591 दिनांक 10.10.2019 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, बेगूं को दिनांक 22.10.2019 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 22.10.2019 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।


लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या 84/2019 (सू.अ.)
श्री राजेन्द्र जैन निवासी भीलवाड़ा बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़


रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने पर भी अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तथा न ही सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, बेगूं ने उक्त प्रकरण में आदिनांक तक कमेंट्स प्रस्तुत किए।

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2019/2171 दिनांक 16.10.2019 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार है:-

1. यह कि प्रार्थी श्री राजेन्द्र जैन निवासी बागचार भवन, कृष्णा मौहल्ला, भीलवाड़ा द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 18.05.2019 को प्रस्तुत किया जो इस कार्यालय में दिनांक 22.05.2019 को प्राप्त होना सही है।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से चाही गई सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार), बेगूं से संबंधित होने से प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार), बेगूं द्वारा पत्रांक/राजस्व/2019/1151 दिनांक 15.10.2019 से प्रार्थी को उपलब्ध करा दी गई है। पत्र की प्रति संलग्न है।
3. यह है कि प्रार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध करा दी जाने से इस प्रकरण पर कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर प्रार्थी अपील को निरस्त कराने का श्रम करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2019/2171 दिनांक 16.10.2019 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, बेगूं द्वारा अपने पत्रांक/राजस्व/2019/1151 दिनांक 15.10.2019 से उपलब्ध कराई जा चुकी है।




लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)





प्रकरण संख्या 84/2019 (सू.अ.)
श्री राजेन्द्र जैन निवासी भीलवाड़ा बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

चूंकि अपीलार्थी को सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, बेगूं द्वारा, उसके द्वारा वांछित सूचना/प्रतिलिपियां जरिये डाक द्वारा उपलब्ध हो जाने से अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारीज की जाती है।



(चेतन देवड़ा)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./84/2019(सू.अ.)/635 दिनांक:- 23/10/2019
प्रतिलिपि:-

1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़
2. सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, बेगूं
3. श्री राजेन्द्र जैन निवासी बागचार भवन, कृष्णा मौहल्ला, भीलवाड़ा-311001

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

